

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - शेफिया.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 267/25

दापर दिनांक 22/09/2025

निर्णय दिनांक 22/09/2025



क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट		कपासन आदेश	
1	<u>शेफिया</u>	<u>88</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	वर्तमान प्रविष्टि	शुद्ध प्रविष्टि	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
			स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया	तहसीलदार कपासन की अनुशांथा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसूच राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>शेफिया</u> प.ह. <u>शेफिया</u> खातासं. <u>88</u> में वर्तमान प्रविष्टि स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।	पदेन सहायक कलक्टर कपासन
			हस्ताक्षर (पटवारी) <u>प.ह. शेफिया</u>	हस्ताक्षर निरदावर <u>Sharma</u>	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार	

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल शेफिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन

तहसीलदार (कपासन) कपासन

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौडगाढ